

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी- अनिल कुमार, आर.ए.एस.

संतोष देवी

बनाम

भगवानाराम आदि

दावा बाबत बंटवारा

दावा मुकदमा नं. 177/2015

निर्णय दिनांक- 15.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी रुबरु मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर आराजी खसरा सं. 284 रकबा 0.70 हैक्टेयर वाके ग्राम बटोठ, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला-सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है-

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. भगवानाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट सा.देह	284 मि.	0.01 हैक्टेयर	बा.1	0.06
2. संतोषदेवी पत्नी दूदाराम जाति जाट सा.देह	284 मि.	0.27 हैक्टेयर	बा.1	1.49
3. नजीर अहमद पुत्र जमाल खां जाति व्यापारी सा. देह	284 मि.	0.27 हैक्टेयर	बा.1	1.49
4. नजमा पत्नी नजीर अहमद जाति व्यापारी सा.देह	284 मि.	0.09 हैक्टेयर	बा.1	0.50
5. शामलाती रास्ता	284 मि.	0.06 हैक्टेयर	बा.1	0.32

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज मुबलिग बाबत खर्चों इस मुकदमें के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तकको अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.06.2018 को केम्प बटोठ में जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प-बटोठ

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प- बटोठ

15.06.18	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत- न्याय आपके द्वार- 2018 के तहत आयोजित कैम्प बठोठ में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से वांछित विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश हो चुका है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। कैम्प स्थल पर वादीया स्वयं उपस्थित। प्रस्तुत वाद का भी अवलोकन किया जिसमें वादी ने बंटवारा चाहा है। साथ ही पत्रावली पर नजीर अहमद पुत्र श्री जमाल खान जाति व्यापारी निवासी बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रकरण में पक्षकार संयोजन हेतु प्रार्थना-पत्र अ. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश हो चुका है। उक्त प्रार्थी का हिस्सा तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में दर्शित है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र अ. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है। इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे-आम से भी पूछताछ की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। वादीया ने स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया का वाद डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की। उपरोक्त अवलोकन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/470/भूअ./2018 दिनांक 14 फरवरी, 2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादीया का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा सं. 284 रकबा 0.70 हैक्टेयर वाके ग्राम बठोठ, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला-सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं-</p> <table border="1" data-bbox="381 1075 1370 1459"> <thead> <tr> <th>खातेदार का नाम</th> <th>खसरा सं.</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. भगवानाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट सा. देह</td> <td>284 मि.</td> <td>0.01 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>2. संतोषदेवी पत्नी दूदाराम जाति जाट सा.देह</td> <td>284 मि.</td> <td>0.27 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>3. नजीर अहमद पुत्र जमाल खां जाति व्यापारी सा.देह</td> <td>284 मि.</td> <td>0.27 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>4. नजमा पत्नी नजीर अहमद जाति व्यापारी सा. देह</td> <td>284 मि.</td> <td>0.09 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>5. शामलाती रास्ता</td> <td>284 मि.</td> <td>0.06 हैक्टेयर</td> </tr> </tbody> </table> <p>तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (सीकर) कैम्प- बठोठ</p>	खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	1. भगवानाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट सा. देह	284 मि.	0.01 हैक्टेयर	2. संतोषदेवी पत्नी दूदाराम जाति जाट सा.देह	284 मि.	0.27 हैक्टेयर	3. नजीर अहमद पुत्र जमाल खां जाति व्यापारी सा.देह	284 मि.	0.27 हैक्टेयर	4. नजमा पत्नी नजीर अहमद जाति व्यापारी सा. देह	284 मि.	0.09 हैक्टेयर	5. शामलाती रास्ता	284 मि.	0.06 हैक्टेयर
खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा																	
1. भगवानाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट सा. देह	284 मि.	0.01 हैक्टेयर																	
2. संतोषदेवी पत्नी दूदाराम जाति जाट सा.देह	284 मि.	0.27 हैक्टेयर																	
3. नजीर अहमद पुत्र जमाल खां जाति व्यापारी सा.देह	284 मि.	0.27 हैक्टेयर																	
4. नजमा पत्नी नजीर अहमद जाति व्यापारी सा. देह	284 मि.	0.09 हैक्टेयर																	
5. शामलाती रास्ता	284 मि.	0.06 हैक्टेयर																	

